न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–83/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सम्मी खां पुत्र सिताब खां जाति मेव निवासी ग्राम धोली दूब, तहसील व जिला अलवर
.....वादी अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील अलवर
.....प्रतिवादी रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–01.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट जटियाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर हाल 22 रकबा 0.28 ऐयर, 23 रकबा 0.03 एवं 26 रकबा 0.31 ऐयर जिसका साबिक खसरा नंबर 23 मिन 1 बीघा 10 बिस्वा, 23/275 मिन रकबा 05 बिस्वा, 23/276 मिन 06 बिस्वा व 23 मिन 23/275 मिन 23/276 मिन शामिल खसरा नंबर 22 व 23/275 मिन 23/276 मिन वाके ग्राम धोलीदूब वादी के बुजुर्गान के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर वादी के बुजुर्गान का देहान्त हो जाने के उपरान्त वादी दाखिल हुआ। विवादित आराजी मुतनाजा वादी के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की बुजुर्गाना आराजी है। जिस पर वादी खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। राज0 काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व व उसके बाद वादी के बुजुर्गान का कब्जा लगातार चला आ रहा है। वादी के बुजुर्ग काफी अर्से पूर्व गांव छोडकर पाकिस्तान चले गये व आराजी मुतनाजा पर मिन वादी के बुजुर्ग गुटारी बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज दाखिल हुआ। संवत 2020 में सेटिलमेंट ने आराजी मुतनाजा को गलत तरीके पर सिवाय चक लगानी दर्ज कर दी।जबकि सेटलमेंट को आराजी मुतनाजा को सिवायचक दर्ज करने का हक नही था। अपितु पूर्व इन्द्राज को दोहराना चाहिये था। गत सेटिलमेंट के आधार पर हाल सेटिलमेंट 2051 में भी आराजी मुतनाजा को सिवायचक लगानी

दर्ज कर दी जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। वादी ने विवादित आराजी खसरा नंबर 22, 23, 26 वाकेग्राम धोलीदूब में सिवायचक लगानी को दुरूस्त कर वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कैम्प कोर्ट में खारिज कर दिया। तहत अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 20.06.2016 कैम्प कोर्ट जटियाना में वादी अपीलांट के खिलाफ बाला बाला इकतरफा में सादिर फरमाया है, जिसकी बाबत अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.2016 को ही प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई तनकीयात कायम किये हुये व बिना अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का मौका दिये हुये अपना उक्त आदेश सादिर फरमाया है जो गलत है। कानूनन जब कोई वाद कन्टेस्टेड होता है तो उसमें पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर अपना निर्णय सादिर फरमाया जाना आवश्यक है। कैम्प कोर्ट न्यायालय में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा सद्भाव व मेल जोल से निर्णीत हो सकता हो, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा प्रकरण का निर्णय बिना अपीलांट की मौजूदगी में मेरिट्स पर तय किया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दर्ज करना गलत है कि जमाबन्दी संवत 1996 व जमाबंदी संवत 2016 में विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड दर्ज रिकार्ड है, बल्कि वास्तव में नकल जमाबंदी संवत 1996 व संवत 2016 के अवलोकन से स्पष्ट तौर पर साबित पाया जाता है कि विवादित आराजी मकबूज मालकान दर्ज है, एवं जमाबंदी संवत 1996 व 2016 में छुटटन व नहना नम्बरदारान का नाम दर्ज है।जो अपीलांट के पूर्वजों के नाम है। आराजी पर अपीलांट व उनके पूर्वजों का कब्जा गत काफी समय से चला आ रहा है। बंदोबस्त संवत 2020 में गलत तौर पर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया एवं उसी के अनुसार बंदोबस्त हाल संवत 2051 में भी विवादित आराजी को सिवायचक कर दिया गया जो गलत है। कानूनन बंदोबस्त अधिकारियों को किसी भी प्रकार से पूर्व इन्द्राज को तब्दील करने का अधिकार नही था और उनको पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट किया जाना चाहिये था। इस प्रकार जो इन्द्राज बंदोबस्त संवत 2020 व 2051 में किया गया है वो खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा होने के कारण दुरूस्त फरमाये जाने योग्य था और अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश की पालना में कोई पर्चा डिक्री नही बनाई जबकि चूंकि मौजूदा प्रकरण का निर्णय मेरिट्स पर किया गया है, इसलिये पर्चा डिक्री बनाया जाना आवश्यक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट जटियाना दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में सरकार पैरोकार का कथन है कि वादी द्वारा तहत अदालत में इस तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। नकल जमाबंदी 2016 में भी उक्त आराजी गैर मुमकिन पहाड एवं नकल संवत 1996 में भी विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड दर्ज रिकार्ड है। गैर मुमकिन पहाड प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है, जिसकी खातेदारी अपीलांट को दिया जाना संभव नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट जटियाना के निर्णय दिनांक 20.06.2016 एवं न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया।

आदेशिका दिनांक 09.05.2016 में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जटियाना दिनांक 20.06.2016 में पत्रावली को रखने के आदेश हैं। लोक अदालत व स्थाई लोक अदालत के कानून बिंदु संख्या 20 लोक अदालतों द्वारा मामलों की संज्ञेयता (1) (i) क में केवल पक्षकारों के सहमत होने पर ही लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु तहत अदालत द्वारा बिना सहमति व बिना अपीलांट को सूचना दिये ही प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है जो विधि के प्रतिकूल है, विधिक त्रुटि है। इस संबंध में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील मीमो के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है क्योंकि अपीलांट को बिना नोटिस दिये, बिना सुने ही निर्णय पारित किये जाने से निर्णय की जानकारी की दिनांक से जो कारण बताये गये हैं,वे उचित व सम्यक् हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट जटियाना के निर्णय दिनांक 20.06.2016 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से विधिक प्रक्रिया के अनुसार अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 01/02/21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर